

30/09/19
128



1. ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
2. ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
3. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
4. ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
5. ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.

ಬರಹ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
2. ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.
3. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.

ಅನುಬಂಧ - ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದು.

ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 30.09.2019

ಸಂಖ್ಯೆ: 267/2015

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ - ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ, ಸಿರೀಷಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ

30/09/19
22



पूर्वक बंदखल कर दिये जाने से प्राथमिकता को भावी अर्थविद्या होगी।
आजीविका का एक मात्र जारिये वादगत कृषि भूमि से प्राप्त उपज की आय है जिन्हें बल
होगा वा अपूर्तिय क्षति होगी, गैर कार्मनी कार्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्राथमिकता के
प्राथमिकता खातेदार वा काबिल कारखानेकार इस प्रकार प्राथमिकता के वैध अधिकारों का हनन
भूमि है। अप्राथमिकता सं. 01 के वादगत कृषि भूमि के 1/3 में से 3/4 हिस्सा के कार्मनन
संयुक्त खातेदार है। वादगत कृषि भूमि प्राथमिकता की पूर्वक, सहदायिक अधिमानित कृषि
अप्राथमिकता सं. 01 सुरक्षा 12 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि के बिस्वा बराबर-बराबर के रूप में
सुरक्षा अप्राथमिकता सं. 01 का भी 1/4 हिस्सा संयुक्त है। कार्मनन प्राथमिकता नीतियों वा
संयुक्त बिस्वा बराबर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हिस्सा बला आ रहा है तथा
कुल वादगत भूमि 36 बीघा 13 बिस्वा के 1/3 हिस्सा यानि 12 बीघा 05 बिस्वा में
का उनके जन्म से तथा वादीनी सं. 01 का बिवाह क समय से अप्राथमिकता सं. 1 सुरक्षा के
है। वादगत कृषि भूमि पुरवानी, सहदायिक, अधिमानित भूमि होने से प्राथमिकता सं. 2 ता 3
स्वार्थिय सावलाराम एवं फूलाराम के उत्तराधिकारीगण है। इस दोनों का ही निधन हो गया
तहसील सुजानगढ जिला चूरु के निवासीगण है। अप्राथमिकता सं. 1 वादीनी सं. 1 ता 3
साहित्य पेश कर निवेदन किया है कि प्राथमिकता एवं अप्राथमिकता सं. 1 ता 3 ग्राम गुंडावड़ी
212 आर्टीकल व आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा 151 दिवानी प्रक्रिया
प्रकरण में साहित्य तथ्य इस प्रकार से है कि प्राथमिकता प्राधान्य पर अन्तर्गत धारा

आदेश

आदेश दिनांक - 30.09.2019

1. श्री सूर्य प्रकाश स्वामी एडवोकेट प्राथमिकता
2. श्री गोरखनलाल चौधरी एडवोकेट अप्राथमिकता

उपस्थित:-

राजस्थान सरकार काबिलकारी अधिनियम, 1955

प्राधान्य पर अन्तर्गत धारा 212

-अप्राथमिकता

6. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरु राज.
7. अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील कार्यालय सालासर जिला चूरु राज.
8. उप पंजीयक उप तहसील कार्यालय सालासर जिला चूरु राज.

3/16/2016
218



6. वकील उमय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।
सिद्धान्त प्रतिपादित है कि राजस्व अभिलेख में अभिलिखित खातेदार कार्रकार के विरुद्ध अधिवक्ता अपार्षी संख्या 03 द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टान्तों में इसी आशय का मूलभूत खातेदार है जिसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती है। योग्य
5. वकील अपार्षीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपार्षी संख्या 03 रिकार्ड्ड अपूर्णतया धारि के विरुद्ध प्रार्थी के पक्ष में है।
अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक विरुद्ध यथा प्रथम दृष्टया कस, सुविधा का सन्तुलन एवं बंध नहीं करने के लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। विवादित आराजी जटिलताएं बढेगी। अतः व्यापक न्यायहित में अपार्षीगण को विवादित भूमि के रहन एवं नहीं किया गया तो इस प्रकार में अनावश्यक रूप से पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी एवं व्यापक न्यायहित में है। यदि अपार्षीगण को विवादित भूमि के रहन एवं बेचान से पाबन्द तब तक अपार्षीगण को विवादित भूमि को रहन एवं बेचान करने से पाबन्द किया जाना संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा नियमित बाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है 02 निर्दिष्ट रूप अपार्षी संख्या 01 के पुन-पुनर्निर्माण है। अतः जब तक विवादित भूमि के द्वारा प्रस्तुत नियमित बाद परीक्षण न्यायालय में विचारणीय है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 व वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण 3. वकील उमय पक्ष की बहस सुनी गई।
4. वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण गया।
2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक- 28.01.2016 को अपार्षी संख्या 03 की ओर से श्री गोरखन लाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए अपार्षी संख्या 1, 2, 4, व 5 विधिवत तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 14.12.2016 को अपार्षी संख्या 03 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।
2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक- 28.01.2016 को अपार्षी संख्या 03 की ओर से श्री गोरखन लाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए अपार्षी संख्या 1, 2, 4, व 5 विधिवत तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 14.12.2016 को अपार्षी संख्या 03 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथपत्र बाबत प्राप्ति अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है
अपार्षी सं. 01 ता 3 को वर्जित किया जावे कि वो वादागत कृषि भूमि के विधिवत
विभाजन होने से पूर्व मूल बाद के निर्णय से पूर्व वादागत कृषि भूमि रोही ग्राम गुंजावड़ी
तहसील सुजानगढ जिला यूकू हाल खसरा नं. 73 मीन तादादी 16 बीघा 07 बिस्वा,
खसरा नं. 326 मीन 02 बीघा, खसरा नं. 321 मीन 13 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 533
मीन 05 बिस्वा, खसरा नं. 635 मीन तादादी 03 बिघा 15 बिस्वा, कुल तादादी 36
बीघा 13 बिस्वा प्रार्थीगण की धैर्यक अभिमानित सहदायिक भूमि के किस्से या भाग
को किस्सी भी रूप में विक्रय इस्तान्तरण आदि नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग
उपयोग में किस्सी भी प्रकार की बाधा या रुकावट पैदा नहीं करे। रेकार्ड वा मौका की
यथास्थिति बनाये रखे।



सुजाना

उपखण्ड अधिकारी

(रतन कुमार) (रतन कुमार)
28/09/19

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में

होकर दाखिल दफतर हो।

यथास्थिति बनाये रखें व विकय, अन्तरण आदि नहीं करें। पत्रावली निर्णय में शुमार किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वादगत भूमि के रिकार्ड व मौका की निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द आरटीए स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2015 को जारी अस्थाई 8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रार्थीगण के पक्ष में है।

आवश्यक हिन्दू यथा प्रथम दृष्टया कस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्ण स्थिति को हिन्दू लिए पाबन्द किया जाना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है। विवादित आरजी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अतः व्यापक न्यायहित में अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को रदन एवं बैय नहीं करने के इस प्रकरण में अनावश्यक रूप से पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी एवं जटिलताएं बढ़नी हैं। यदि अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को रदन एवं बेचान से पाबन्द नहीं किया गया तो को विवादित भूमि को रदन एवं बेचान करने से पाबन्द किया जाना व्यापक न्यायहित में न्यायालय द्वारा नियमित वाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है तब तक अप्रार्थीगण संख्या 01 के पुन-पुनर्जियां हैं। अतः जब तक विवादित भूमि के संबंध में विचारण परीक्षण न्यायालय में विचारणीय है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 व 02 निर्वादाद रूप अप्रार्थी पक्षक सम्पत्ति रही है। विवादित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नियमित वाद 7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आरजी वादीगण व प्रतिवादीगण की